न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3287/।।।/2013 विरूद्व आदेश दिनांक 19.08.2013 – पारित – कलेक्टर,जिला टीकमगढ,म0प्र0 – प्रकरण क. 181/2012–13 बी 121

1– भागीरथ तिवारी पुत्र प्रभूदयाल तिवारी

2– श्रीमती रमादेवी पत्नि भागीरथ तिवारी

3– हरीहर पुत्र भागीरथ तिवारी

सभी निवासीगण जानकीवाग

तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0 ––आवेदकगण

विरूध्द

1– मोहन पुत्र सूके काछी मृतक वारिस

श्रीमती हरवाई पत्नि स्व0मोहन काछी

2– बारेलाल पुत्र सूके काछी

दोनों निवासी मामोन दरवाजा टीकमगढ़

3– गोविन्दसिंह पुत्र शिवराज सिंह सिसोदिया

ग्राम मातौल तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़

4– मध्य प्रदेश शासन ––अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव

अनावेदकगण के अभिभाषक श्री कुंअरसिंह कुशवाह

आदेश

(आज दिनांक 10– 4 – 2014 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर,जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क. 181/2012–13 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 19.8.2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 1 ,2, 3 ने कलेक्टर, टीकमगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम मामौन स्थित भूमि सर्वे कमांक 515/882/2 रकबा 2.226 हैक्टर भूमि, जो वाद में बटांकित करके सर्वे कमांक 215/882/2 हुई है एंव सर्वे कमांक 227/234/4 रकबा 3.884 हैक्टर ग्राम मोहनपुरा की भूमि का पटटा आवेदक कमांक–1 भागीरथ तिवारी को आत्मसमर्पित दस्यु होने से कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 8/अ–19/92–93 में आदेश दिनांक 30–3–93 से स्वीकृत किया है जो तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 1 अ 19/89–90 में पारित आदेश दिनांक 13–3–93 से जारी किया व मौके पर कब्जा दिया, जिसके आधार पर भागीरथ तिवारी का नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज हुआ।

एक पटटा अनावेदक कमांक 1 मोहन, अनावेदक क–2 बारेलाल के हक में एंव अन्य लोगो के हक में अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ व्दारा दिया गया, जिसे आयुक्त के आदेश दिनांक 3–12–73 से स्वमेव निगरानी में लिया जाकर प्रकरण कमांक 25/73–74 स्वमेव निगरानी में आदेश दिनांक 24–8–76 से निरस्त किया . किन्तु पटटे के आधार पर मोहन एंवं बारेलाल ने सर्वे कमांक 215/882 की भूमि विकय पत्र दिनांक 22–6–96 से अनावेदक कमांक–3 गोविन्द सिंह को विकय कर दी।

कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष मोहन, बारेलाल पुत्र सूके काछी एंव गोविन्द सिंह ने ग्राम मामौन स्थित भूमि सर्वे कमांक 215/882/2 रकबा 4.00 एकड़ यानि 1.619 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेख में पूर्व की तरह स्वयं् के नाम दर्ज कराने की कार्यवाही का आवेदन दिया, जिसका प्रकरण कमांक 181/2012–13 बी 121 है। इसी प्रकरण में आवेदकगण की ओर से म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित 32 का आपत्ति आवेदन दिया गया, जिसका निराकरण न करते हुये कलेक्टर टीकमगढ़ ने अंतरिम आदेश दिनांक 19.8.2013 से प्रकरण जांच हेतु तहसीलदार को भेजने में त्रृटि की गई है जिसके विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि प्रकरण में पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत विभिन्न आदेशों की छायाप्रतियों के अनुसार कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 8/अ–19/92–93 में आदेश दिनांक 30–3–93 से वादग्रस्त भूमि का पटटा भागीरथ तिवारी आवेदक क–1 को स्वीकृत किया है जिसके कम में तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 1 अ 19/89–90 में पारित आदेश दिनांक 28–7–93 से भागीरथ तिवारी आवेदक क–1 के हित में पटटा प्रदान किया है। इसी पटटे के सम्बन्ध में अनावेदकगण की आपत्ति यह है कि भागीरथ तिवारी पुत्र प्रभूदयाल तिवारी कभी भी आत्मसमर्पित दस्य नहीं रहा है तथा वादग्रस्त भूमि शहर टीकमगढ़ से लगी हुई भूमि है एंव सुधासागर मुख्य रोड की भूमि है जिसका आवंटन नियमानुसार वर्जित है । नगरीय क्षेत्र से लगी भूमि केवल एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये आवंटित नहीं की जा सकती एंव तथाकथित फर्जी व बनावटी प्रकरणों के नम्बर डालकर पटटो का अमल है, जबकि कलेक्टर टीकमगढ़ ने अंतरिम आदेश दिनांक 19–8–13 से तहसीलदार टीकमगढ़ को इन्हीं तथ्यों की जांच के लिये एंव वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेख एंव अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 8 अ19/92–93 एंव तहसील़दार टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 1 अ 19/89–90 में पारित आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराई हैं , अपितु आदेशों की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत की है जो साक्ष्य अधिनियम में दिये गये प्रावधानानुसार प्रमाण के अभाव में सुसंगत साक्ष्य होना नहीं माना जावेगा ।

5/ जहॉ तक कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 181 बी 121/2012–13 में अंतरिम आदेश दिनांक 19–08–2013 से वादग्रस्त भूमि के बन्टन की एंव पटटे

के सत्यापन वावत् तथ्यों की जांच कराये जाने का प्रश्न है ? जांच के दौरान तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष उभय पक्ष को अपना–अपना पक्ष प्रबल रूप से रखने, लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने एंव बचाव करने का समुचित अवसर प्राप्त है जिसके कारण कलेक्टर टीकमगढ़ के अंतरिम आदेश दिनांक 19–08–2013 में हस्तक्षेप का औचित्य नजर नहीं आता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 181 बी 121/2012–13 में दिया गया आदेश दिनांक 19–08–2013 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अस्तु निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर